

उत्तराखण्ड शासन आबकारी विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 148 (1)/XXIII-1/2024-04(01)/2024 देहरादून दिनांक 21 फरवरी 2024 के के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु घोषित आबकारी नियमावली के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जनपद पिथौरागढ़ की निम्न मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी के माध्यम से किया जाना है उक्त के क्रम में कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 26182 दिनांक 11.03.2024 के द्वारा मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के पश्चात अवशेष अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों को प्रथम चरण में लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन किये जाने का कार्यक्रम निम्नवत जारी किया गया है।

01	प्रथम चरण लॉटरी	लॉटरी हेतु आवेदन करने की तिथि (प्रारंभ)	दिनांक 14.03.2024
		लॉटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 16.03.2024 सांय 05.00 बजे तक
		लॉटरी की तिथि समय एवं स्थल	दिनांक 18.03.2024 के प्रातः 10.00 बजे से प्रकिया समाप्त होने तक जिला कार्यालय सभागार

जनपद पिथौरागढ़ की अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों का विवरण निम्नवत है।

क्र० सं०	दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ला० फीस	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित वार्षिक अधिभार	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रथम प्रतिभूति की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु हैसियत की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु धरोहर धनराशि
1	2	3	5	6	7	8	9	
1	पिथौरागढ़ नं०-3 धारचूला रोड विदेशी	61920644	619000	61301644	5108470	5108470	9288097	1548016
2	गंगोलीहाट विदेशी	97631573	976000	96655573	8054631	8054631	14644736	2440789
3	डीडीहाट विदेशी	77135867	771000	76364867	6363739	6363739	11570380	1928397
4	थल विदेशी	29806829	298000	29508829	2459069	2459069	4471024	745171
5	जौलजीवी विदेशी	37390815	374000	37016815	3084735	3084735	5608622	934770
6	चण्डाक विदेशी	36836877	368000	36468877	3039073	3039073	5525532	920922
7	कोटमन्या विदेशी	35004739	350000	34654739	2887895	2887895	5250711	875118
8	कनालीछीना विदेशी	33236280	332000	32904280	2742023	2742023	4985442	830907
9	मुवानी विदेशी	14961315	150000	14811315	1234276	1234276	2244197	374033
10	अस्कोट विदेशी	20911160	209000	20702160	1725180	1725180	3136674	522779
11	बूगाछीना विदेशी	17889151	179000	17710151	1475846	1475846	2683373	447229
12	ब्वीटी विदेशी	19387830	194000	19193830	1599486	1599486	2908175	484696
13	भवनखोला विदेशी	8418243	84000	8334243	694520	694520	1262736	210456
14	घाट विदेशी	15972457	160000	15812457	1317705	1317705	2395869	399311
1	बेरीनाग देशी	7929960	79000	7850960	654247	654247	1189494	198249
2	वड्डा देशी	3532023	35000	3497023	291419	291419	529803	88301
3	मुवानी देशी	2500000	25000	2475000	206250	206250	375000	62500
4	कनालीछीना देशी	2500000	25000	2475000	206250	206250	375000	62500
5	जौलजीवी देशी	2500000	25000	2475000	206250	206250	375000	62500

उक्तानुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, एवं शपथ पत्र के साथ धरोहर धनराशि के बैंक ड्रॉफ्ट मूल रूप में आयाकर लेखा (PAN) आधार कार्ड, विगत 02 वर्ष का आईटी0आर0 प्रमाण पत्र (विगत वर्ष की नियन्तम वार्षिक आय 5 लाख का), स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप जी0-39 में प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रकिया शुल्क रु 65,000.00 का बैंक ड्रॉफ्ट (अप्रतिदेय) मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी भी अधिसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन को-ऑपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार किये बैंक ड्रॉफ्ट जो कि जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ के पक्ष में देय हो, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। सम्बन्धित बैंक ड्रॉफ्ट आबकारी नीति वर्ष 2024-25 घोषित होने की तिथि से पूर्व के स्वीकार्य नहीं होंगे। सम्बन्धित लॉटरी प्रकिया एवं शर्तों कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, पिथौरागढ़ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या 458 / जि0आ0अधि0 / व्यवस्थापन / वर्ष 2024-25 / पिथौरागढ़ दिनांक 13 मार्च 2024

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

01. आबकारी आयुक्त, महोदय उत्तराखण्ड देहरादून।
02. जिलाधिकारी, महोदय पिथौरागढ़।
03. संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमायूं मण्डल, हल्दानी, नैनीताल।
04. जिला सूचना अधिकारी, पिथौरागढ़।
05. सम्पादक दैनिक जागरण(D.P.ADVERTISING), / अमर उजाला / हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ प्रेषित कि, उपरोक्त

विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समचार पत्र में शासकीय दरों पर न्यूनतम स्थान में दिनांक 14.03.2024 को ही प्रकाशित होने वाले उत्तराखण्ड संस्करण में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने को कष्ट करें।

जिला आबकारी अधिकारी,
पिथौरागढ़।